अनुदान संख्या 8 - औषध निर्माण विभाग
GRANT No. 8 – DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	190,50,00				
				190,51,00	72,58,63	-117,92,37
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					117,84,12
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted -			22,50,00	5,21,00	-17,29,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year:					17,29,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1750.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1750.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	16511.00			
पू.	S.	1.00	6525.35	6516.93	-8.42
पु.	R.	-9986.65			

(I) ₹1750.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "रसायन और औषध निर्माण उद्योग - औषध और औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद" के अंतर्गत एक मामले में परिसर में निर्माण गतिविधि शुरू न किए जाने कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1750.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" – "Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals – National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)" - due to non taking up of construction activity at campus.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "रसायन और औषध निर्माण उद्योग - औषध और औषध परिसर में निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries – Drugs and Pharmaceuticals" – savings occurred under the following heads :-

(का) "राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान" - ₹7375.00 लाख की बचत (नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13232.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी किए जाने, परिसर निर्माण गतिविधि आरंभ न किए जाने, अव्ययित शेष उपलब्ध होने और प्रयोगशाला उपकरणों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)" – saving of ₹7375.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13232.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011) was due to reduction of provision at revised estimates stage, non-commencement of campus construction activity, availability of unspent balances and lesser requirement of Lab equipments.

(खा) "राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण" - ₹286.00 लाख की बचत (₹828.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और स्टाफ कार, टेलीफोन, पेशेवर सेवाओं और चिकित्सा बिलों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA)" – saving of ₹286.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹828.00 lakhs) was due to non-approval of proposed schemes by Planning Commission and requirement of less funds towards staff cars, telephone, professional services and medical bills.

(गा) "औषध निर्यात संवर्धन स्कीम" - ₹2202.26 लाख की बचत (₹2252.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न होने और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के पास विश्व स्वास्थ्य संगठन - अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के अनुपालन की परियोजना के लिए अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से नई स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Pharmaceutical Export Promotion Scheme (PEPS)" – saving of ₹2202.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2252.00 lakhs) was due to non-finalization of new schemes owing to non – completion of procedural formalities and availability of unspent balance with Hindustan Antibiotics Limited for World Health Organization – Good Manufacturing Practices Compliance Project.

(घा) "औषध निर्माण संवर्धन और विकास स्कीम" - ₹131.81 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यशालाओं, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के प्रोत्साहन के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "Pharmaceutical Promotion and Development Scheme" – saving of ₹131.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to receipt of less promotional proposals for workshops, conferences and seminars.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6857"	Major Head "6857"				
रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	2250.00	521.00	521.00	..
पु.	R.	-1729.00			

(I) ₹1188.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1186.00 लाख "औषध तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹1188.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹1186.00 lakhs accounted for under "Drugs and Pharmaceutical Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(का) "हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि." - ₹686.00 लाख जनकीय आईवी फ्ल्यूड संबंधी परियोजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) "Hindustan Antibiotics Ltd." – ₹686.00 lakhs – due to non-approval of the project relating to parentral IV fluid.

(खा) "राजस्थान औषध और फार्मा लि." - ₹500.00 लाख संयंत्र और मशीनरी का नवीकरण और प्रतिस्थापन न किए जाने के कारण थे।

(B) "Rajasthan Drugs and Pharma Ltd." - ₹500.00 lakhs – due to non-renewal and replacement of Plant and Machinery.

(II) "औषध और औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय औषध और औषध निर्माण लिमिटेड" के अंतर्गत ₹540.00 लाख की बचत (₹1001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा उड़ीसा औषध एवं रसायन लिमिटेड तथा गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसीज के लि अनुसूची एम अनुवृत्ति परियोजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Drugs and Pharmaceutical Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited" – saving of ₹540.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs) was due to non-approval of Schedule M compliance project by Planning Commission for Odisha Drugs and Chemicals Limited and Good Laboratory Practices.